1. गजेसिंह पुत्र सोहन सिंह, उम्र- 39 साल, निवासी मालगांव, पुलिस थाना सदर नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री गजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	363/01.11.2025
Police Station, District and State	कोतवाली, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	8/21, 8/25 NDPS Act
Maximum punishment prescribed	20 वर्ष का कठोर कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	20.05.2026
Total period of custody undergone	15 दिन

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:- Nill

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त गजेसिंह की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 363/2025, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. केस डायरी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.10.2025 को अमरचन्द, उप-निरीक्षक मय जाप्ता लॉकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही एवं कस्बा गश्त करने कस्बा नागौर को रवाना हुआ। दौराने गश्त जरिए टेलीफोन उसे इत्तला मिली, जिस पर वह मय जाप्ता के रवाना होकर साडोकन तिराया से पहले डीडवाना रोड़, नागौर पहुंचा तो एक क्रेटा गाड़ी नंबर RJ-21-CX-1094 रोड़ के साइड में खड़ी दिखाई दी। उक्त गाड़ी का चालक पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर उसने मय जाप्ता सरकारी गाड़ी को उक्त गाड़ी के आगे लगाकर रूकवाया। उक्त शख्स को घबराने का कारण पूछा तो उसने अपने पास अवैध मादक पदार्थ एम.डी. होना बताया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामलाल पुत्र मेहराम होना बताया। उक्त शख्स की रूबरू मौतबिरान नियमानुसार तलाशी ली गई, जिस पर उक्त शख्स रामलाल के पहनी आसमानी रंग की जिंस पेंट के सामने की दाहिनी जेब में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली, जिसमें भूरे रंग का पदार्थ भरा हुआ मिला। शख्स रामलाल ने उक्त पारदर्शी थैली में मादक पदार्थ एमडी होना बताया, जिस पर उसने मय जाप्ता उक्त प्लास्टिक की पारदर्शी थैली को खोलकर देखा, सूंघा तो सभी ने अपने-अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं निजी ज्ञान के आधार पर उक्त थैली में भूरे रंग के पदार्थ को अवैध मादक पदार्थ एम.डी. होना पहचान किया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया गया तो अवैध मादक पदार्थ एमडी का प्लास्टिक की पारदर्शी थैली सहित कुल वजन 05.63 ग्राम हुआ। पूछताछ करने पर उक्त शख्स रामलाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ एमडी अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने बाबत् लाइसेंस व परमिट नहीं होना बताया गया। बाद मौका कार्यवाही के मय बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ व मौके पर मुर्तिब फर्दात के थाने पर पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 363/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज रजिस्टर की गई। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त गजेसिंह के विरुद्ध धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे सरासर झूठा आलिप्त किया है। उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी कार संख्या RJ-21-CX-1094 रामलाल को बेचान कर दी थी तथा बेचान के संबंध में इकरारनामा भी निष्पादित किया था, जिससे वक्त घटना वाहन का वास्तविक मालिक रामलाल था व उसके ही भौतिक कब्जे से वाहन को जब्त किया गया तथा वाहन पर रामलाल का ही कब्जा था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लिये जाने बाबत् आवेदन पेश करने पर पुलिस ने उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के नाते तकनीकी गलती से गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त रामलाल की नियमित जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

द्वारा एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 14049/2025 बअनुवान रामलाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी/अभियुक्त मामला उससे गुरुतर प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गवाहान पैरवी को बहकाने या डराने धमकाने का भी आरोप नहीं है, ना ही उसके विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय हाजा के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत जैबा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील नम्बर 825/2026 आदेश दिनांक 11.02.2026 के अनुक्रम में निष्पादित शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को मौतबीर जमानत पर रिहा करने के आदेश बाबत् निवेदन किया।

4. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त एवं परिवहन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं संपूर्ण केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि दीगर अभियुक्त रामलाल के कब्जे से मौके पर प्लास्टिक की पारदर्शी थैली सहित कुल वजन 05.63 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एम.डी. बरामद हुआ है एवं दीगर अभियुक्त रामलाल की नियमित जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 14049/2025 बअनुवान रामलाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जब्तशुदा वाहन के संबंध में निष्पादित इकरारनामा की प्रति भी पेश की गई है, जिससे भी प्रथम दृष्टया जब्तशुदा वाहन मुख्य अभियुक्त रामलाल के कब्जे एवं आधिपत्य का होना दर्शित होता है। प्रार्थी/अभियुक्त गजेसिंह से हस्तगत प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त गजेसिंह का मामला दीगर अभियुक्त रामलाल, जिसकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, से भिन्न व गुरुतर प्रकृति का होना दृष्टिगत नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 को गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

7. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर न्यायिक दृष्टान्त एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 खेतसिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त गजेसिंह पुत्र सोहन सिंह, उम्र- 39 साल, निवासी मालगांव, पुलिस थाना सदर नागौर, जिला नागौर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् 2,00,000/- रुपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 1,00,000-1,00,000/- रुपये की राशि की दो सुदृढ़ जमानतें नियत पेशी पर एवं जब भी न्यायालय अपेक्षा करे, उपस्थिति बाबत, विचारण न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा देवें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

9. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए -मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

10. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर